फर्द अहकाम

सुरजभान बनाम आपूसराज ...

नाम न्यायालय

केस संख्या 15/2020 9/6

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/5/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/6/24 को पेश हो।
	12/6/24	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–15/2020

उनवान

सुरजभान पुत्र प्रभात, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र ईश्वरलाल
2. गोठी देवी पत्नी मोहनलाल
3. बिदामी देवी पत्नी ईश्वरलाल
4. रामचन्द्र पुत्र ईश्वरलाल
5. शंकरलाल पुत्र ईश्वरलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. गंगा देवी पत्नी प्रभात
8. प्रताप सिंह पुत्र प्रभात
9. बाबूलाल पुत्र प्रभात
10. रामेश्वर पुत्र प्रभात
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. मन्जू देवी पुत्री प्रभात पत्नी गोपाल पूनियां, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा (खेजरोली), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. विमला देवी पुत्री प्रभात पत्नी बनवारी सामोता, जाति जाट, निवासी लेसवा की ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. शान्ति देवी पुत्री प्रभात पत्नी धन्नाराम सामोता, जाति जाट, निवासी लेसवा की ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. सुमित्रा देवी पुत्री प्रभात पत्नी गिरधारीलाल पूनियां, जाति जाट, निवासी गोपालपुरा बाईपास के पास, 624, महावीर नगर टोंक रोड, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 12.06.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 151 में वर्णित खसरा नम्बर 1483 रकबा 1.66 है0, खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 1588/1620 रकबा 0.16 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.10 है0 स्थित है। उक्त भूमियों में वादी का हिस्सा 1/9 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 14 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियां ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के दक्षिणी पश्चिमी ओर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1482, 1486, 1487, 1610, 1612

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]ल किता 4 का कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 आये दिन वादी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है, वादी द्वारा फसल की सुरक्षार्थ खातेदारी भूमि की बनी हुई मेड को तोडकर आवारा पशुओं को वादी की खातेदारी भूमि में प्रवेश करवाकर नुकसान कारित करवाते है तथा वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास करते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही हैं। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकास से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर अपनी भूमि की सींव डोल व मेड बनाकर बाड कर रखी हैं। वादी विवादित आराजीयात पर काबिज खातेदार स्वामी है जिस कारण वादी को उपरोक्त आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का विवादित भूमि के कब्जे व स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादी की भूमि के दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर के पडौसी खातेदार है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 आये दिन वादी की भूमि में से जबरिया कब्जा करने की नियत से कच्ची डोल को तोडते रहते है एवं वादी की फसल को आवारा पशुओं से नुकसान कारित करते रहते है एवं विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में जबरिया व्यवधान कारित करते है तथा वादी की भूमि पर जबरिया निर्माण करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 20.07.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा विवादित भूमि की मेड को तोडकर वादी की भूमि में उगी हुई बाजरे की फसल में आवारा पशुओं को प्रवेश करवाकर फसल को नुकसान कारित करवा दिया तथा दिनांक 21.07.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा विवादित भूमि में बने हुए वादी के बोरिंग में पत्थर डाल दिये तथा दो पाईप चुरा ले गये व फसल को नष्ट करने के उद्देश्य से फसल पर केमिकल डाल दिया। जिसकी रिपोर्ट वादी द्वारा पुलिस थाना सामोद में दिनांक 22.07.2020 को दी गई जो अभी लम्बित है। वादी द्वारा उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना सामोद में देने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी को दिनांक 23.07.2020 को भूमि पर आकर कहा कि हम विवादग्रस्त भूमि पर बनी मेड को तोडकर वादी की फसल नष्ट कर देंगे एवं वादी के कब्जे एवं स्वामित्व के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित कर देंगे तथा वादी की फसल में आवारा पशुओं को प्रवेश करवाकर फसल को नुकसान कारित कर देंगे एवं वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने का प्रयत्न करने लगे जिसका विरोध वादी द्वारा किये जोन पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी को ऐलानियां धमकी दी गई कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देंगे, जिसमें यदि वादी ने कोई आ[illegible] परिणाम अच्छा नहीं होगा, जिस कारण वाद वादी श्रीमान्जी के समक्ष पेश करना आवश्यक है।

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी[illegible] को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही वादी की भूमि की दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बनी हुई मेड में तोड–फोड करें, ना ही आवारा पशुओं को प्रवेश करवायें, ना ही फसल को नुकसान कारित करें, ना ही वादी की भूमि में जबरिया अतिक्रमण करें, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा अपनी संयुक्त सहखातेदारी भूमि का बिना विधिक तकासमा करवाये एवं बिना सीमाओं का निर्धारण करवाये ही पडौसी खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि विवादित भूमि के सह खातेदारो को भी नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। लेकिन वादी को छोडकर कोई सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 7 ता. 14 अनुपस्थित रहे है। जिससे प्रतित होता है कि विवादित भूमि में किसी प्रकार सें कोई सीमाओ सम्बन्धित विवाद नही है नाही वादी के द्वारा सीमाओ सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये गये है। ऐसे में वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

सुरजभान पुत्र प्रभात, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र ईश्वरलाल
2. गोठी देवी पत्नी मोहनलाल
3. बिदामी देवी पत्नी ईश्वरलाल
4. रामचन्द्र पुत्र ईश्वरलाल
5. शंकरलाल पुत्र ईश्वरलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. गंगा देवी पत्नी प्रभात
8. प्रताप सिंह पुत्र प्रभात
9. बाबूलाल पुत्र प्रभात
10. रामेश्वर पुत्र प्रभात
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. मन्जू देवी पुत्री प्रभात पत्नी गोपाल पूनियां, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा (खेजरोली), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. विमला देवी पुत्री प्रभात पत्नी बनवारी सामोता, जाति जाट, निवासी लेसवा की ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. शान्ति देवी पुत्री प्रभात पत्नी धन्नाराम सामोता, जाति जाट, निवासी लेसवा की ढाणी, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. सुमित्रा देवी पुत्री प्रभात पत्नी गिरधारीलाल पूनियां, जाति जाट, निवासी गोपालपुरा बाईपास के पास, 624, महावीर नगर टोंक रोड, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं0:–15/2020 निर्णय दिनांक:– 12.06.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर [illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 12.06.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner